रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2385] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2011/अग्रहायण 29, 1933
No. 2385] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2011/AGRAHAYANA 29, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2011

का.आ. 2842(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1399 (अ) तारीख 27 सितम्बर 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 के 421.650 कि.मी. से 324.000 कि.मी. (डिंडीगुल - त्रिची सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में, प्राधिकरण ने तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के त्रिची - डिंडीगुल सेक्शन के 333.000 कि.मी. से 421.273 कि.मी.,(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सेक्शन कहा गया है), तक को डिजाइन, इंजीनियरी, वित्त, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स टी.डी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एच ब्लॉक, पहला तल, धीरूभाई अम्बानी नोलिज सिटी, नवी मुम्बई - 400710 में है, के साथ निर्माण, प्रचालन और अन्तरण (बी.ओ.टी) के आधार पर करार किया है ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अन्तर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए उक्त सारणी की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रवर्ग पर फीस उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर उदगृहीत और संगृहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक उक्त फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है; अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	यानों का प्रवर्ग	आधार फीस प्रति कि.मी. प्रति यान प्रति फेरा की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री वैन या जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	0.70
3.	ट्रक या बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय), अर्थ मूविंग उपस्कर या भारी सं.निर्माण मशीनरी	2.25

टिप्पण:-

1) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ,-

(i) "वास्तविक फीस" से प्रत्येक प्लाजा पर उक्त सेक्शन के सड़क उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है -

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई , और

(ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्ध और जो एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन , स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, उक्त सेक्शन के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार (जिसे इसमें इसके पश्चात् करार कहा गया है) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सेक्शन या उसके हिस्से के पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(iii) "स्थानीय यातायात" से कार/ जीप / यान के लिए संदेय फीस के संबंध में यातायात का निम्नलिखित प्रवर्ग अभिप्रेत है अर्थात् :-

(क) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित प्रवर्गों में आने वाले उपयोक्ता सम्मिलित होंगे, अर्थात्-

(1) ऐसे ग्रामों, / नगरों / शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर आती है ;

(2) फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयाँ ;

(3) फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या अपने कार्यालय रखने वाले स्थापनों / औद्योगिक ईकाइयों के कर्मचारी ; और

(4) ऐसे स्वनियोजित व्यक्ति / कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर है ।

(ख) " स्थानीय यातायात प्रवर्ग II " से निम्नलिखित अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित प्रवर्गों में आने वाले स्थानीय उपयोक्ता अभिप्रेत हैं अर्थात् -

(1) ऐसे ग्रामों, / नगरों / शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है ।

(2) फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयां हैं ।

(3) ऐसे स्थापनों / औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी जो फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है।

(4) स्वनियोजित व्यक्ति कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के दस कि.मी. से अधिक किन्तु बीस कि.मी. तक के घेरे के भीतर है

(iv) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त करार, उस करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है;

(v) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं , और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त करार में परिभाषित हैं , वही अर्थ होंगे जो उस करार में हैं ।

2. फीस की वास्तविक रकम और प्रत्येक वर्ष के 1 सितम्बर से प्रभावी उसका पुनरीक्षण निम्नलिखित रूप से संगणित किया जाएगा :--

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{डब्ल्यू पी आई-बी}}{\text{डब्ल्यू पी आई-ए}} \times \text{उक्त खंड की लम्बाई}$$

जहां

- थो.की.सू.- क = जून 1997 को थोक कीमत सूचकांक है अर्थात् (131.4)।
- थो.की.सू. - ख = फीस पुनरीक्षण तारीख से पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपलब्ध औसत थोक कीमत सूचकांक है ;
- थो.की.सू. से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक या अन्य कोई सूचकांक जो इसको प्रतिस्थापित कर सके, अभिप्रेत है ;

3. फीस का संग्रहण केवल 382.850 कि.मी पर अवस्थित पथकर प्लाजा पर किया जायेगा ।

4. जब किसी यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में प्लाजा को पार करते समय उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट आधार दर पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे या जहाँ ऐसे यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास में निरंतर और बार-बार उपयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट एक चक्कर के लिए लागू दर के तीस गुना के समतुल्य प्रभारों के संदाय पर मासिक पास प्राप्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "दिन" से चौबीस घंटे की निरन्तर अवधि गणना की जाएगी ।

5. जब तक कि सम्पूर्ण उक्त खण्ड को चार लेन का नहीं बना लिया जाता , जैसा कि स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित किया गया हो , तब तक रियायतग्राही उक्त खण्ड मे से 334.000 कि.मी से 421.273 कि.मी तक के सतत् खण्ड को चार लेन का बनाने का काम पूरा कर लेने के बाद प्रयोक्ताओं से शुल्क संग्रहण शुरू कर सकेगा ।

6. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संगृहीत नही की जाएगी, अर्थातः-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अतंर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

7. रियायतग्राही निम्निलिखित छूट दरों से अधिक स्थानीय यातायात से फीस संगृहीत नहीं करेगा अर्थात्:—

(क) कार / जीप / वैन के लिए

(i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1 : 150.00 रूपये का मासिक पास ;

(ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2 : 300.00 रूपये का मासिक पास ।

(ख) **स्कूल बसें :** स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए टोल प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर एक हजार रूपये की दर से मासिक पास जारी किए जाएंगे ।

(ग) **हल्के वाणिज्यिक यान या ट्रक** (स्थानीय परिवहन प्रचालक) :

स्थानीय परिवहन प्रचालकों को 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलाने का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्योरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर प्रत्येक प्रवेश पर स्थानीय परिवहन प्रचालकों से फीस ली जा सकेगी और ऐसे परिवहन के लिए फीस , प्रत्येक प्रवेश के लिए ट्रकों के लिये पच्चीस रूपये और प्रत्येक प्रवेश के लिए हल्के वाणिज्यिक यान के लिये पन्द्रह रूपये फीस होगी ।

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात द्वारा स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन खुली हुई है वहाँ रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से फीस संगृहीत तभी करेगा यदि वे उक्त सेक्शन का उपयोग करते है ।

8. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाएगा तो रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नहीं करेगा ।

9. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले , इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का कथन भी करते हुए दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) इस अधिसूचना का सार प्रकाशित करेगा और ऐसे सार को इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने से दस दिन पहले भी पुनः प्रकाशित करेगा ।

10. रियायतग्राही किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा और रियायतग्राही तथा उक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नही हो रहा है और फीस का संग्रहण, सड़क उपयोक्ताओं को

असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है और उससे संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी होंगे।

11. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और ऐसे रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी टोल बूथ से 500 मीटर आगे, टोल बूथ से 100 मी. आगे और टोल बूथ पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी और प्रदर्शित बोर्डों की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालक प्रदर्शित बोर्डों को आसानी से पढ़ सकें।

12. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्प्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस, प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई समझी जाएगी।

[फा. सं. एन एच ए आई/13013/671/सी.ओ./10-11/जीसी त्रिची (333.000-421.273) बी. ओ. टी]

बी. बी. महापात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2011

S.O. 2842(E).—Whereas, the Central Government, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1399 (E), dated the 27th September, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government has entrusted, the stretch from Km 421.650 to Km 324.000 (Dindigul - Trichy section) of National Highway no. 45 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s TD Toll Road Private Limited, having its registered office at H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai - 400710 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for Design, Engineering, Finance, Construction, Operation and Maintenance of Trichy - Dindigul section from Km 333.000 – Km 421.273 of national highway number 45 in the State of Tamil Nadu (herein after referred to as the said section) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules,

1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rates specified in column (3) of the following Table (hereinafter referred to on the said Table), on the categories of vehicles specified in column (2) of the said Table for the use of the said section, and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:-

Table

S. No.	Categories of vehicles.	Base rate of fees per vehicle per one way trip per Km (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1.	Car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	0.70
3.	Truck or bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle), earth moving equipment or heavy construction machinery.	2.25

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-

(i) "actual fee" means the fee actually charged from the road users of the said section on the basis of,-
(i) length of the project highway, and
(ii) base rate given in the said Table duly indexed,
and shall be rounded off to the nearest one rupee.

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section or part there off begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section (hereinafter referred to as the said agreement) ;

(iii) "local traffic" means the following type of traffic in relation to the fee payable for car/jeep/van,

(i) "Local Traffic" category I" means and includes users falling into any of the following categories

(1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(2) establishments industrial units located within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);

(3) employees of establishments/industrial units located or which have their office, within a radius of ten kilometers of the fee collection booths (toll plaza); and

(4) self employed persons/businessmen having place of work within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);

(b) "Local Traffic category II" means and includes local users falling into any of the following categories:-

(1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);

(2) establishments/industrial units located within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);

(3) employees of establishments/ industrial units located or which have their office, within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza; and

(4) self employed persons/business men having place of work within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza).

(iv) "termination date" means the date on which the said agreement expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(v) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the said agreement shall have the same meaning respectively assigned to them in the said agreement.

2. The actual amount of fee and the revision thereof effective from 1st September every year shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the said section.}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 (131.4).
- WPI-B = is the Average Wholesale Price Index available for the year ending March, 31st preceding the fee revision date.

- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

3. The fee shall be collected at the fee plaza only, situated at Km 382.850.
4. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rates as specified in column (3) of the said Table while crossing the toll plaza in the first trip itself and where vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month, then the user may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in column (3) of the said Table.

   Explanation:- For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.
5. The Concessionaire may commence collecting fees from the users after completion of four laning of continuous stretch from Km 334.000 to Km 421.273 out of the said section, as certified by the Independent Consultant until the whole of said section is four laned.
6. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(i) Vehicles-

(A) having VIP symbols or officially belonging to -

(a) the President of India;
(b) the Vice-President of India;
(c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
(d) a Foreign dignitary on State visit to India;
(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
(f) the Chairman of Rajya Sabha , Speaker of Lok Sabha , Chairman of a State Legislative Council , Speaker of a State Legislature Assembly, a Minister for the Union or State, Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislatures having the status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;
(g) a Member of Parliament in the entire country , a Member of Legislative Assembly of a State, a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to awardees of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra,

Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the appropriative or competent authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

7. Concessionaire shall not collect fees from Local Traffic in the excess of the following discounted rate:-

(a) Car/Jeep/Van:

i) Local Traffic Category I:	Monthly pass of Rs 150.00;
ii) Local Traffic Category II:	Monthly pass of Rs 300.00;

(b) School buses: Monthly passes for school buses, for school students, crossing the toll plaza shall be given at a monthly rate of rupees one thousand after obtaining written request of the school principal along with the recognition of the school and the registration of the bus.

(c) Light Commercial Vehicle or Trucks (Local Transport Operators): Concessional fee may be taken from the Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan showing origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle and the fee for such transport shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light Commercial Vehicle for each entry:

Provided that where a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall collect fee from such local traffic only, if they use the four lane National Highway.

8. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.

9. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

10. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fee is collected at not more than the agreed

rates and the fees colleted is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.

11. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booth, 100 meters ahead of the toll booth and at the toll booth also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

12. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March , in every year, but at least forty-five days before the revised rate is to be effected so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/BOT/13013/671/CO/10-11/GC-Trichy (333.000 to 421.273) BOT]

B. B. MAHAPATRA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.